न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–61/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. सीताराम पुत्र लक्ष्मण जाति यादव निवासी बीजवाड़ नरूका तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट/वादी

बनाम

1. सरकार जरिये जिलाधीश अलवर राज0 ।
2. सरकार जरिये तहसीलदार अलवर राज0 ।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत बीजवाड़ नरूका अलवर राज0 ।
4. सचिव, ग्राम पंचायत बीजवाड़ नरूका अलवर राज0 ।

..... रेस्पो0/प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
1. श्री राधाकृष्ण शर्मा अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 व 2
3. श्री उदयसिंह अभिभाषक रेस्पो0 सं0 3 व 4

::: निर्णय :::

दिनांक :–25.07.2018

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी ख0 नं0 1719 रकबा 56 ऐयर, 1720 रकबा 46 ऐयर, 1721 रकबा 08 ऐयर एवं जिसका साबिक ख0 नं0 695 रकबा 4.07 बीघा में 1 बीघा पर वादी लगभग 40 वर्षो से काबिज है । वादी से पूर्व वादी के पिता काबिज थे । खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2051–52 में वादी के पिता लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र के नाम 5 बिस्वा भूमि आबादी में तथा 15 बिस्वा भूमि पर जोत व काश्त दर्ज कर रखी है । विवादित आराजी में से 45X30 फुट का पट्टा भी प्रतिवादीगण 3 व 4 ने वादी की पत्नि श्रीमती उगन्ती के नाम जारी कर रखा है । हाल राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी सिवायचक नाकाबिल काश्त दर्ज करते हुए तीनों खसरा नम्बरों को गै0मु0

आबादी दर्ज कर दिया । ग्राम पंचायत बीजवाड़ नरूका विवादित आराजी के पट्टे आवंटन कर विवादित आराजी पर दीगर व्यक्तियों का कब्जा करवाना चाहती है तथा दि0 22.2.2011 को ग्राम पंचायत ने वादी को नोटिस दिया है । वादी एडवर्श पजेशन के आधार पर विवादित आराजी का खातेदार काबिज काश्त घोषित किये जाने का अधिकारी है । अतः वादी को विवादित आराजी के 1 बीघा रकबे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें व प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दिनांक 30.05.2016 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 30.05.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में मुख्य कथन यह है कि वादी/अपीलांट ने अपनी मौखिक साक्ष्य में खुद के तथा रामजीलाल पुत्र मनोहर महाजन, जगदीश पुत्र मूल्या जाट, टीकाराम पुत्र लालाराम सैनी के सशपथ बयान कराये जिनसे वादी का वाद बखूबी साबित था और काबिल डिक्री योग्य था । इसके साथ ही वादी/अपीलांट ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी सम्वत् 2066–69, 2051–70 की मिसल बन्दोबस्त ग्राम बीजवाड़ नरूका के राजस्व नक्शें सम्वत् 2051–52 के खसरा परिवर्तनशील की छाया प्रतियां पेश की थी जिससे भी वादी का वाद तहत न्यायालय में साबित था । वादी का अपने पिता के समय से विवादित आराजी में से एक बीधा आराजी पर 40 सालों से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा आज भी वादी/अपीलांट का ही कब्जा है और कानूनन वादी एडवर्श पजेशन के आधार पर उक्त आराजी पर हकूक खातेदारी हासिल हो चुके हैं । तहत न्यायालय ने विधि विरूद्ध तथा गलत व बेजा तौर पर कब्जे व मौके के खिलाफ वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

जवाब में राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 व 2 का कथन है कि विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 895 रकबा 4.07 बीघा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2038–41 में गैर मुमकिन आबादी दर्ज है जिसके नये ख0 नं0 1719 रकबा 56 ऐयर, 1720 रकबा 0.46 है0, 1721 रकबा 0.08 है0 सिवायचक खाते में गैर मुमकिन आबादी दर्ज रहे हैं व वर्तमान में भी इसी प्रार दर्ज है । आराजी ख0 नं0 1719 में से 03 ऐयर रकबा कम होकर ख0 नं0 1719/2918 रकबा 0.03 है0 महकमा सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज रेकार्ड है । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी का विवादित आराजी में कोई अधिकार नहीं है । तहत न्यायालय ने युक्तियुक्त निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

अभिभाषक रेस्पो0 सं0 3 व 4 का बहस में कहना है कि ग्राम पंचायत बीजवाड़ नरूका के स्वामित्व की गैर मुमकिन आबादी राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसमें सन् 1992 में

ग्राम पंचायत बीजवाड़ नरूका द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुए गरीब तबके के लोगों को आवासीय भूखण्डों का आवंटन किया गया था । वादी/अपीलांट ने विवादित आबादी की भूमि पर बदयान्तिपूर्वक अतिक्रमण किया हुआ है । ग्राम पंचायत ने वादी/अपीलांट की पत्नि को कोई पट्टा जारी नहीं किया है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय सही है और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2016 का अवलोकन किया । विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया ।

अपीलांट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी पर विगत 40 वर्षो से कब्जे काश्त में है तथा रेकार्ड में गैर मुमकिन आबादी दर्ज की है, वह गलत है । वादी/अपीलांट एडवर्श पजेशन के आधार पर खातेदारी चा रहे हैं । वादी/अपीलांट के पक्ष में पट्टा जारी होना भी बता रहे हैं ।

इस सन्दर्भ में रेकार्ड का अवलोकन किया गया । विवादित आराजी वर्तमान में सरकार के खाते में दर्ज है तथा किस्म गैर मुमकिन आबादी के रूप में भी दर्ज है । तहत न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.05.2016 से वादी के वाद का निर्णय में पूर्ण विवेचन किया है तथा वाद वादी को काबिल खारिजी के मानकर खारिज किया है । हमने भी तहत न्यायालय के निर्णय का विवेचन किया है जो कानून सम्मत है । इसलिए अपील अपीलांट काबिल खारिजी के है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2016 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/7/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर